

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

// परिपत्र //

क्रमांक-1242/दो-12-01/04

उज्जैन, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024

प्रायः देखने में यह आ रहा है कि संबंधित न्यायालय के द्वारा निर्णय एवं आदेश को सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में प्रत्येक दिवस अपलोड नहीं किये जा रहे हैं, जिसकी शिकायत अभिभाषकगण द्वारा की गई है।

जिले के समस्त न्यायाधीशगण (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित) दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 11.12.2024 तक के सभी निर्णय एवं आदेश सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिये गये हैं, के संबंध में पालन प्रतिवेदन संबंधित पीठासीन अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करें, यदि भविष्य में यह पाया गया कि कोई निर्णय एवं आदेश सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर पर अपलोड नहीं किया गया है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करने पर विवश होना पड़ेगा।


(राजेश कुमार गुप्ता)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)


पृष्ठांकन क्रमांक-12924/दो-12-01/04

उज्जैन, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि -

11 DEC 2024

समस्त पीठासीन अधिकारी, जिला उज्जैन एवं समस्त तहसील न्यायालय की ओर उक्त परिपत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने न्यायालय के उक्त अवधि में लंबित सभी निर्णय एवं आदेश सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड कराकर, पालन प्रतिवेदन तत्काल कार्यालय में प्रेषित करें


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)